

## न्यायालय सभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 362/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00284)

1. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. उप सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।  
—अपीलान्टस

### बनाम

1. बालू पुत्र पदमा (मृतक)  
1/1. मोहन पुत्र जगदीश कौम कुमावत,  
1/2. बजरंगलाल पुत्र जगदीश कौम कुमावत,  
1/3. प्रेमचन्द पुत्र जगदीश कौम कुमावत,  
1/4. सीताराम पुत्र जगदीश कौम कुमावत,  
1/4. सोहन पुत्र जगदीश कौम कुम्हार  
समस्त निवासीयान मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 39/2016 उनवानी सरकार बनाम बालू पुत्र पदमा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 28.06.2018

### उपस्थित—

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.नं. 2 की ओर से
3. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से

### निर्णय

दिनांक —05.03.2024


1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सैटलमेन्ट खतौनी सम्वत 2011-2019 के खाता संख्या 56 के अनुसार बालू वल्द पदमा कुम्हार सा. देह के नाम खातेदारी निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने निर्णय दिनांक 28.06.2018 से प्रकरण में बिन्दु संख्या 1 से 6 तक में किये गये विवेचन के आधार पर प्रासांगिक विवादित भूमि में समर्पण की प्रक्रिया पूर्ण न होने, न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा खातेदारों के उज्र पर प्रकरण लौटा दिये जाने एवं नये सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के क्रम में राजस्व विभाग एवं पंचायत द्वारा उक्त भूमि को गोचर घोषित करने से मना करने के आदेश से तहसीलदार द्वारा लगान अदा कर पूर्व खातेदारों के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने के घटना क्रम से सिद्ध होता है कि प्रकरण में राजकीय भूमि के राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का नहीं है। अतः प्रासांगिक प्रकरण में नियम 14 (4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः वर्तमान में दर्ज खातेदारी अधिकारों के इन्द्राज का विलोपन के लिए नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगणा का कब्जा नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के सुसंगत विधान के तहत नियमानुसार सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों के

पर्यावसान के लिए तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल कार्यवाही किया जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर वगैरे द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक: विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 30.03.1984 द्वारा सिवाय चक से खातेदारी बालू वल्द पदमा कौम सा0 देह को पुनः दर्ज के आदेश को निरस्त करने एवं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर की भूमि रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वज बालू पुत्र पदमा कुम्हार के नाम अंकित चली आ रही थी जिसे नियमानुसार समर्पण के दौरान नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत सिवाय चक अंकित की गई थी जसे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अपने आदेश क्रमांक विविध ( 82 )/779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत नियमों के विपरीत वापिस काश्तकार के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित कर दिये। मौके पर यह भूमि पूरी तरह गौशाला भवन के अन्तर्गत आकर गौशाला में संधारित पशुओं के उपयोग में आ रही है एवं वर्तमान में 250 गौवंश का भरण पोषण हो रहा है एवं लाखों रुपये अनुदान के राज्य सरकार से प्राप्त होने के फलस्वरूप भवन निर्माण एवं गौशाला संचालन का कार्य भी चल रहा है। यह कि उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध आम जनता की तरफ बालू एवं अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र संख्या 210 /2016 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 25/06/2018 को निर्णय पारित किया जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने 34 वर्ष का असाधारण विलम्ब मानते हुए समर्पण की कार्यवाही को अस्वीकार करके आरटीए की धारा 63 के लिये सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही हेतु तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को आदेश पारित किये। उपरोक्त मामले में जो आदेश दिनांक 25/06/2018 को पारित किये गये हैं। उसकी प्रतिलिपि दिनांक 27/07/2018 को मिली है एवं इसकी जानकारी दिनांक 06/07/2018 को ही हुई है अतः दिनांक 06/07/2018 से 2 माह की अवधि में यानि 05/09/2018 तक यह अपील प्रस्तुत की जानी थी लेकिन अपीलान्तस जो ग्रामीण परिवेश के आदमी है, माह सितम्बर में रामदेवरा एवं राजस्थान के अन्य स्थानों पर धार्मिक यात्राओं एवं हरियाणा में धार्मिक यात्राओं में जाने के कारण यह अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की गई अतः इस अपील की प्रस्तुति में जो 1 माह करीब का जो विलम्ब हुआ है उसे न्याय हित में कण्डोन किया जावे जिसके लिये प्रार्थना पत्र देरी माफी इस अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा रही है :-

(अ) यह कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं कोई भी व्यक्ति अवैधानिक कार्यवाही को इस प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसके अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है उसमें समय सीमा की कोई पाबन्दी नहीं है।

(ब) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरटीए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं जिसका कोई विधिक कारण व प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है इसलिये उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

  
न्यायाधीश आयुक्त  
जयपुर

(स) यह कि काश्तकार बालू पुत्र पदमा के वारीसान ने भूमि को समर्पण कर दिया था एवं समर्पण पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियम 14 (4) में मौजूद हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो गैर कानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(द) यह कि भूमि पर 1962 के समर्पण के फलस्वरूप शीलालेख इत्यादि एवं उपयोग व उपभोग इत्यादि गौशाला के हित में लगे हुए हैं जिसे नकारने का कोई कारण नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि जो सिवाय चक में अंकित आदेश को बहाल रखने की गुजारिश की गई थी को खारिज किये जाने में अनियमितता की है अतः उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25/06/2018 को अपास्त किया जाकर कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत खातेदारी से विलोपित की जाकर राज्य सरकार के नाम अंकित की जावे जिससे समर्पण के नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत यह भूमि गौचर के उपयोग व उपभोग में आ सके।


6. वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोड़ने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया था या नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमें जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार हैं। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालों को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह पुरा में गौचर भूमि छुड़ाने के मामले में चारागाह घोषित करने की दरखास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घोषित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को

खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। प्रार्थी पक्षकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति-दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में विवादित आराजी आराजी वर्तमान में भागीरथ वल्द पन्ना मीणा के नाम से खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 38/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम भागीरथ पुत्र पन्ना न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 को यथावत रखा जावे।


7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सैटलमेन्ट खतौनी सम्वत 2011-2019 के खाता संख्या 56 के अनुसार बालू वल्द पदमा कौम कुम्हार सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज रही है। खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 30.03.1984 द्वारा सिवायचक से खातेदारी बालू वल्द पदमा कौम कुम्हार के नाम पुनः दर्ज की गई है। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्ष बाद, 28.07.1976 को आवंटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए उपजिलाधीश का पत्र दिनांक 26.08.1982 बिना किसी प्रस्ताव एवं बिना किसी अधिकार बिना किसी जांच के पारित किया गया है। इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवंटन कमेटी या उपजिलाधीश को नहीं है। भूमि गिदावरी वर्ष 2039 से 2070 तक बंजर दर्शाई गई है जिससे इस भूमि पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होना स्पष्ट है। भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा. देह के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का आदेश Ab-initio void and illegal है। भागीरथ वल्द पन्ना कौम मीणा सा. देह के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। दिनांक 16.09.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोड़ी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आवंटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आवंटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहीन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित

भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without एवं jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आवंटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 39/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार बनाम बालूराम न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश 26.08.1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 30.03.1984 का निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 30.03.1984 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

  
(डॉ० आरुषी मलिक)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।